कार्यालय, जिला पंचायत सुकमा, जिला – सुकमा (छ.ग.)

Email – drda.sukma@gmail.com, phone no-07864-284027

// विज्ञापन //

क्रमांक/5597/जि.पं./DPRC/मुमंपंसअभि./2019–20

सुकमा, दिनांक 7/2/2020

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक/995/आर70/मुपसयो./22–1/2015 नया रायपुर दिनांक 21.07.2016 राज्य शासन द्वारा पंचायत संचालनालय के अधीन मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत सुकमा जिले के डीपीआरसी कार्यालय हेतु संकाय सदस्य पद की पूर्ति हेतु कार्यालय जिला पंचायत सुकमा में विज्ञापित पदों की संविदा भर्ती की जानी है। अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरण अनुसार संविदा भर्ती संबंधी योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक बस्तर संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों से दिनांक 22/02/2020 को संध्या 05:30 बजे तक संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किया जाता है।

01. जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC)

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतन (एक मुश्त मासिक)	आरक्षण की स्थिति	अनिवार्य अर्हता	वांछित योग्यता
1	2	3	4	5	6	7
01	संकाय सदस्य	02	20,342.00	अजजा – (मुक्त 01) अजजा – (महिला 01)	(1) स्नातकोत्तर/बी.ई में 55% अंक से उत्तीर्ण। (2) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यों अथवा प्रबंधकीय कार्यो का कम से कम 06 माह का अनुभव	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अथवा जर्नल में शोध पत्र

02. चयन का तरीका –

जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC)				
क्र	पदनाम	मेरिट विवरण	(100 अंक)	रिमार्क
1	संकाय सदस्य	न्यूनतम अर्हता	75	न्यूनतम अर्हता के अंको का अधिभार – 75%
		संबंधित क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय शोध पत्र अथवा जर्नल अथवा प्रतिवेदन परियोजना	15	प्रति अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय शोध पत्र अथवा जर्नल में 03 अंक (अधिकतम 15 अंक)
		संबंधित कार्य का अनुभव	10	प्रति वर्ष 02 अंक, (अधिकतम 10 अंक)

03. वेतनः–

3.1 उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।

4. आरक्षणः–

4.1 मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजनांतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित राज्य/जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

4.2 आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।

5. आयु सीमाः–

5.1 संविदा नियुक्ति हेतु आयु दिनांक 01.11.2019 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

6. **नियुक्ति की अवधिः–** संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

7. **उक्त पद हेतु बस्तर संभाग के निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। (सुकमा जिले के निवासी पात्र अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जावेगा, सुकमा जिले के निवासी से पात्र अभ्यर्थी नहीं पाए जाने की स्थिति में बस्तर संभाग के पात्र अभ्यर्थियों पर विचार किया जावेगा।)**

8. अवकाश की पात्रताः–

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03. दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनो के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा।

07/02/20

9. यात्रा भत्ताः–
संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगा।

10. आवश्यक शर्तेः–

10.1 उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन, पंचा. एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/पंग्राविवि/22/492।/2016/2327 दिनांक 04/07/2016, एवं पत्र क्रमांक/995/आर70/मुपसयो/22–1/2016 दिनांक 21/07/2016 में दी गई समस्त नियम एवं शर्तें मान्य होगी।

10.2 आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

10.3 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

10.4 कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा एवं नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में नियुक्त के लिए अनर्हताएं भी लागू होंगी।

10.5 इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ पांच–पांच रूपये का डाक टिकट लगा 02 खाली लिफाफा स्वयं का पता अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

10.6 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तथा जिन उम्मीदवारों द्वारा छान–बीन समिति से जाति सत्यापित नहीं कराया गया है, उनकी नियुक्ति होने पर 03 माह का समय छान–बीन समिति से उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र सत्यापन कराये जाने के लिए अवसर दिया जावेगा। इसके बाद भी छान–बीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वेतन भत्ता देय होगा। अन्यथा नहीं।

10.7 उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं समस्त दस्तावेज, अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

10.8 शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

10.9 अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट साईज के फोटो चिपकाएं। आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

10.10 उम्मीदवार के द्वारा लिफाफों में आवेदित पद का नाम, श्रेणी स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा।

10.11 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

10.12 प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव, घटाया–बढ़ाया जा सकता है। निरस्त भी किया जा सकता है।

10.13 शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिर्वतन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो यह विज्ञप्ति में लागू होगा।

10.14 भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।

10.15 चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त की जावेगी। साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।

10.16 प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

10.17 अभ्यर्थी का चयन, परीक्षा/साक्षात्कार पश्चात समिति द्वारा किया जावेगा।

10.18 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 प्रभावशील रहेंगे।

10.19 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा करना अनिवार्य होगा। **(आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत विवरण www.sukma.gov.in पर उपलब्ध है।)** निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं होने पर उसे अमान्य किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय, जिला पंचायत, जिला सुकमा (छ.ग.) के सूचना पटल पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

टीपः– यह सुनिश्चत करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हता पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

07/02/17

आवेदन के संबंध में दिशा–निर्देश

आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूचियों की राजपत्रित अधिकारी / स्वप्रमाणित द्वारा सत्यापित छायाप्रति सहित प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्व किया जावे एवं पृष्ट क्रमांक भी डाले। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम से ही व्यवस्थित कर (1. आवेदन पत्र 2. निवास प्रमाण पत्र 3. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र 4. जाति प्रमाण पत्र 5. शैक्षणिक योग्यता 7. अन्य प्रमाण पत्र 8. अपना पता लिखा सहित 5–5 रू. का डाक टिकट लगा 2 लिफाफा) पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 27/02/2020को संध्या 05:30 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा पता कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.) पिन कोड 494111 को भेजे जा सकते हैं। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। इस विज्ञापन के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय जिला पंचायत सुकमा के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 5597 / जि.पं. / **DPRC** / मुमंपसअभि. / 2019–20
सुकमा, दिनांक 7 / 2 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. **आयुक्त सह संचालक**, पंचायत संचालनालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. **महालेखाकार (छ.ग.प्रकोष्ठ)** रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. **अवर सचिव, छ.ग. शासन,** वित्त विभाग, मंत्रालय अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. **आयुक्त सह संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन**, छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. **संचालक,** ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, निमोरा, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
6. **संभागायुक्त,** बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. **कलेक्टर महोदय,** जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ
8. **जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,** जिला सुकमा की ओर जिला स्तरीय पोर्टल में अपलोड करने हेतु।
9. **सहायक संचालक जनसंपर्क**, विभाग जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला कार्यालय एवं जिला पंचायत सुकमा के **सूचना पटल** पर चस्पा करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम	:- ....
वर्ग (जाति)	:- ....
लिंग	:- ....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

नवीनतम पासपोर्ट फोटो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित

संदर्भ :- आपके विज्ञापन क्रमांक .... दिनांक ....

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-...
2. पिता/पति का नाम :-...
3. अ. जन्मतिथि अंको में :-...
4. ब. शब्दों में :-...
5. दिनांक 01/01/2020 को आयु :-वर्ष ....माह ....दिन ....
6. अ. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :-...
   ....
   ....
   ....पिन नं. ....

   ब. स्थायी पता :-...
   ....
   ....
   ....पिन नं. ....
   मोबाईल नंबर ....
7. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) :-...
8. क्या अधिकतम आयु सीमा छूट चाहते है? यदि हो, तो किसी श्रेणी से उल्लेख करें, :-...
9. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है? :-...
   (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. :- ....
    राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं
    (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
11. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं :- ....
    (यदि हां तो विकलांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
12. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत :- ....
13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? :-...
    हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
14. क्या आवेदक विवाहित है? हां/नहीं :-...
15. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :-...
16. जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्मतिथि :-...

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत
01						
02						
03						
04						
05						

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय :-........................ संस्थान में सेवारत है?हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण :-..
यदि हो तो अनुभव का विवरण :-..

18. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई दाण्डिक :-..
प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? हां, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

19. **संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची**

1.. 2....................................
3.. 4....................................
5.. 6....................................
7.. 8....................................
9.. 10..................................
11.. 12..................................

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम ....

<u>**घोषणा पत्र**</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम ....

दिनांक :-.................
स्थान :-....................